अध्याय VIII : गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

8.1 दावा न किए गए परिनियोजन प्रभार

सशस्त्र सीमा बल द्वारा राज्यों/ सं.शा.क्षे. से, परियोजन लागत के शीघ्र उदग्रहण तथा संग्रहण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। जनवरी 2008 एवं मार्च 2013 के बीच विभिन्न अवसरों पर बिलों को प्रस्तुत करने में इसकी विफलता परिनियोजन प्रभारों के प्रति ₹25.32 करोड़ की कम वसूली का कारण बनी।

विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.) वाहनियों का परिनियोजन समय-समय पर गृह मंत्रालय (गृ.मं.) द्वारा जारी आदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गृ.मं. ने, वाहिनियों के परिवहन तथा संचालन की वास्तविक लागत के अतिरिक्त, राज्यों एवं सं.शा.क्षे में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.) वाहिनियों के परिनियोजन हेतु वसूली प्रभारों के संबंध में अनुदेश जारी किए (दिसम्बर 2005)। मंत्रालय द्वारा समय-समय[1] पर परिनियोजन प्रभारों की दरों का संशोधन किया गया है। तद्नुसार, संबंधित के.स.पु.ब. को प्रत्येक तिमाही के अंत पर संबंधित राज्य/ सं.शा.क्षे. सरकारों को परिनियोजन प्रभारों के प्रति बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

स.सी.ब. गृ.मं. के आदेशों पर विभिन्न राज्यों/ सं.शा.क्षे. में अपनी वाहिनियों का परिनियोजन करती है। स.सी.ब. द्वारा परिनियोजन लागत के प्रति दावे, बल मुख्यालय के परिचालन निदेशालय से प्राप्त संबंधित सूचना के आधार पर, प्रस्तुत किए गए थे।

संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने 2008-13 के दौरान, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, आठ राज्यों से कुल ₹25.32 करोड़ की परिनियोजन लागत की कम वसूली/गैर वसूली को उजागर किया:

---

[1] वर्ष 2013-14 के दौरान परियोजन प्रभारों की दरें ₹34.03 करोड़ प्रति वर्ष प्रति वाहिनी थीं।

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	परिनियोजन लागत की कम वसूली/गैर वसूली (₹ में)
1.	पश्चिम बंगाल	47068492
2.	बिहार	2666312
3.	अरूणाचल प्रदेश	1413616
4.	आन्ध्र प्रदेश	18219204
5.	असम	13357119
6.	उत्तराखण्ड	7679661
7.	दिल्ली	123449091
8.	उत्तर प्रदेश	39323286
	योग	**253176781**

इसके अतिरिक्त इन मामलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने स.सी.ब. द्वारा 13 अवसरों पर ₹12.23 करोड़ के वित्तीय आपादन को शामिल करके परिनियोजन प्रभारों के गैर उद्ग्रहण को उजागर किया। 17 अवसरों में परिनियोजन प्रभारों का कम उद्ग्रहण था। ब्यौरे **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह चूक इसलिए हुई क्योंकि स.सी.ब. के वित्त स्कंध के पास वाहिनियों के वास्तविक परिनियोजन का पूर्ण डाटा नहीं था। यह स.सी.ब. द्वारा इसके वाहनियों के वास्तविक परिनियोजन की कमजोर संवीक्षा को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, स.सी.ब. ने बताया (मई 2013) कि परिनियोजन बकायों को इसके वित्त स्कंध द्वारा केवल सेना मुख्यालय से परिनियोजन आदेशों की प्रति के प्राप्त होने के पश्चात ही आगे बढ़ाया जा सकता था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय आगे बताया (अक्तूबर 2013) कि संचार की कमी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सलाह दी गई थी, का समाधान कर दिया गया था तथा शीघ्रता से परिनियोजन आदेशों की प्रति की वित्त स्कंध में प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु अब आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे।

उत्तर स.सी.ब. के भीतर आंतरिक समन्वय की कमी को इंगित करता है। यह स.सी.ब. में समकालिक एवं सामयिक प्रकार से परिनियोजन प्रभारों का सही उद्ग्रहण तथा वसूली हेतु एक उपयुक्त एवं समयबद्ध प्रकिया स्थापित करने की आवश्यकता को भी दर्शता है।

सीमा सुरक्षा बल

8.2 प्रापण उद्देश्यों की अप्राप्ति

सीमा सुरक्षा बल ने ₹1.09 करोड़ की लागत पर प्रापण की स्पीड नावों का, उनके प्रापण से पहले, गुजरात के संकरी खादी क्षेत्र में संचालन की उपयुक्तता का मूल्यांकन नहीं किया था। यह प्रापण उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इसी उद्देश्य हेतु नए प्रापण प्रस्ताव का कारण बना।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) के जल स्कंध ने प्रचालनात्मक कार्यों हेतु नौ 'ट्विन इंजन स्पीड बोटों' (तीव्र नियंत्रण नावों) के प्रापण हेतु एक मॉग आदेश किया (जून 2009)। नावें गुजरात सीमा के संकरी खाड़ी क्षेत्र में (छः नावें) तथा दक्षिण बंगाल सीमा के सुंदरबन (तीन नावें) में तटीय सीमाओं की अच्छी निगरानी हेतु आवश्यक थीं।

सी.सु.ब. ने इन स्पीड नावों के प्रापण हेतु एक खुली निविदा प्रारम्भ की (जुलाई 2009)। प्रस्तावों की संवीक्षा के आधार पर, सी.सु.ब. ने ₹2.20 करोड़ की कुल लागत पर नौ स्पीड नावों की आपूर्ति हेतु एक फर्म[2] को निविदा स्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2010)। इन नावों की निर्धारित सुपुर्दगी तिथि 22 जनवरी 2011 थी। संविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार फर्म को सी.सु.ब. के प्राधिकारियों द्वारा जांच हेतु स्पीड नाव का आदिप्रारूप प्रदान करना था। नावों के परेषिती जल स्कंध सी.सु.ब., भुज, गुजरात तथा जल स्कंध, सी.सु.ब., कोलकाता थे।

---

[2] मेसर्स पोली ग्लास इंडस्ट्रीज प्राई.लि.

लेखापरीक्षा ने पाया कि नावों कि गुणवत्ता आवश्यकताओं (गु.आ.) का गृह मंत्रालय द्वारा अगस्त 2010, अर्थात् फर्म को आपूर्ति आदेश दे दिए (अप्रैल 2010) जाने के पश्चात, में स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी.सु.ब. के प्रापण स्कंध ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले (दिसम्बर 2009) अपने अंत उपयोगकर्ताओं अर्थात् सी.सु.ब. के जल स्कंध से नावों की विशिष्टताओं के संबंध में किसी आवश्यकता की मांग नहीं की थी। इसने केवल उन्हें नि.स्वी. की एक प्रति जारी की (अप्रैल 2010)। इसके अतिरिक्त नावों के संचालन हेतु संकरी खाड़ी क्षेत्र में प्रचालित लहर उँचाई से मेल खाने वाली डिजाईन आवश्यकता भी निविदा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट नहीं थी।

नावों की सुपुदर्गी मार्च 2012 तक पूर्ण कर दी गई थी तथा फर्म को ₹1.64 करोड़[3] का भुगतान किया गया था।

जल स्कंध, गुजरात द्वारा छः नावों की प्राप्ति पर सी.सु.ब. के अधिकारी बोर्ड (अ.बो.) द्वारा इन नावों का सर्वेक्षण किया गया था (मार्च 2012)। नावों को उनकी दक्षता का पता लगाने हेतु 60-70 घण्टों के लिए जांच हेतु चलाया गया था। (अप्रैल 2012)। अ.बो. ने उन्हें संकरी खाड़ी क्षेत्र हेतु अनुपयुक्त तथा अनुचित पाया। नावों को केवल 0.6 मीटर की अधिकतम लहर ऊँचाई हेतु उपयुक्त पाया गया था। जबकि गुजरात के संकरी खाड़ी क्षेत्र में लहर ऊँचाई एक मीटर तक गई थी। बाद में सी.सु.ब. द्वारा उसी स्थिति को दोहराते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी (मई 2012)।

सी.सु.ब. ने सभी छः नावों के दक्षिण बंगाल सीमा (चार नाव) तथा गुवाहटी सीमा (दो नाव) के स्थानांतण हेतु आदेश जारी किए (सितम्बर 2012) इसी बीच, सी.सु.ब. ने गुजरात के संकरी खाड़ी क्षेत्र हेतु आठ तीव्र पेट्रोल नावों के प्राधिकरण हेतु मंत्रालय को नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया (फरवरी 2013) इस

---

[3] विलम्बित सुपुर्दगी हेतु ₹17.33 लाख के वि.स. प्रभारों को काटने के पश्चात

प्रकार, सी.सु.ब. द्वारा सही गु.आ. को तैयार किए बिना प्रारम्भ की गई प्रापण प्रक्रिया ने अन्य क्षेत्रों के इस विपधन को अनिवार्य बनाया।

सी.सु.ब. ने बताया (मई 2013 तथा सितम्बर 2013) कि आदिप्ररूप नावों का क्रियात्मक/जल परीक्षण संकरी खाड़ी क्षेत्र में नहीं किया गया था क्योंकि नि.स्वी. में ऐसे परिक्षण की कोई शर्त नहीं थी यह केवल नावों की सही विशिष्टताओं को तैयार करने तथा उन्हें नि.स्वी. में शामिल करने, में सी.सु.ब. की विफलता केा सुनिश्चित करता है जिसने इन नावों को उद्देश्य, जिसके लिए ₹1.09 करोड़[4] की लागत पर इनका प्रापण किया गया था, हेतु अनुपयुक्त प्रस्तुत किया।

सी.सु.ब. ने आगे बताया कि इन नावों के प्रापण की पूर्ण प्रक्रिया में अ.बो. के साथ गुजरात सीमा के प्रतिनिधि संघ द्वारा सूपूर्दगी पूर्व निरीक्षण करने के बावजूद, गुजरात सीमा के संकरी खाड़ी क्षेत्र हेतु इन नावों का अनुपयुक्त होने का मामला कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। सी.सु.ब. ने दावा किया कि इन नावों का अब भारत-बंग्लादेश सीमा के तटीय क्षेत्र में लाभदायक रूप से उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि गुजरात सीमा के संकरी खाडी क्षेत्र की विशिष्ट प्रचालनात्मक आवश्यकता के पूरा करने के लिए नई गुआ/परिक्षण निदेशकों को तैयार कर लिया गया था तथा स्वीकृति हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि प्रापण प्रक्रिया के दौरान उचित सावधानी बरतने में विफलता का परिणाम प्रापण उद्देश्यो की अप्राप्ति तथा उसी उद्देश्य हेतु नए प्रापण प्रस्ताव तैयार करने में हुआ।

मामला अक्तूबर 2013 में मंत्रालय केा प्रेषित किया गया था, उनका उतर प्रतीक्षित था (मई 2014)।

---

[4] छः नावों की अनुपाती लागत